



# जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

JC

संख्या-1489

दिनांक-21/12/2018  
I.B.T (B) 64 / 2020-21

श्री अभिषेक सिंह चौहान पुत्र श्री घर्मपाल सिंह पुत्र स्व. श्री हरि सिंह  
मुखण्ड सं. 79, हरिपुरा व्यास कॉलोनी, एयरफोर्स, रातानाबा  
जोधपुर।

## :- भवन निर्माण आदेश :-

विषय :- व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।

प्रमाण :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2019।

उपरोक्त विषयवस्तुगत एवं प्रस्तावित गठित भवन निर्माण अनुमति सन्निधि की संज्ञक दिनांक 27.07.2020 के  
प्रस्ताव संख्या 17 के अन्तर्गत अनुमोदित सन्निधित्त के अनुसार व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न  
शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

स्वीकृति का प्रकार	व्यवसायिक / आवासीय निर्माण
अनुष्ठा निर्माण	पूर्व में निर्मित इकाओं को स्थगित रखते हुए जी+1
कुल	145.14 वर्गमीटर

1. बालकनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगा।
2. पलौती की विस्डिंग लाईन को यथावत रखेंगे।
3. मानचित्र एवं प्लेट में यदि थ्रुलूरी दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
4. खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगा।
5. स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति रूक होगी।
6. एवं जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. मरिचक में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
8. भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुव्धा व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृती शून्य मानी जायेगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।

11. निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण सावधानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुसार निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिस्डिंग मेटेरियल सडक पर नहीं डाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिस्डिंग मेटेरियल भू-स्वामी द्वारा सडक पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के परवाह पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।

13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के मूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में उम्र मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्मित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयों पर रहेगा तथा वर्तमान-मरिचक में नारदर प्लान के अनुसार नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सर्वेय बाध्य रहेंगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 100/- जांच शुल्क- 1,502/- भवन निर्माण शुल्क- 2,000/- ही एसयूटी  
शुल्क- 2,803/- पिकअप एवं संपारण शुल्क- 8,378/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 4,204/-  
मलबा शुल्क- 1,000/- उपकर- 26,501/- कुल राशि- 46,488/- जरिये रसीद संख्या 8069/2018  
दिनांक 23.11.2020 एवं सुरक्षा व अमानत राशि- 1,500/- जरिये रसीद संख्या 9069/2018  
23.11.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दो वर्ष  
स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध राजस्वधन नगर पालिका अधिनियम 2009 की  
धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जायेगी। भवन निर्माण के परवान मलबा सडक  
पर पाया गया तो धुर्माना के रूप में 10,000/- (असरे दस हजार रुपये) वसूल किये जायेंगे।

प्रधान निर्माता  
घर्मपाल सिंह  
1412-720

Handwritten signature

उपायुक्त  
नगर निगम जोधपुर, हरियाणा